फर्द अहकाम

टीना शर्मा बनाम भूरामल 2020/251

वाद संख्या: 251/2020

संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	13/2/23	पत्रावली पेश हुई। मूल दावा पत्रावली व राजस्व रिकार्ड व प्रस्तुत राजीनामा का आधोपान्त अवलोकन किया गया। अभयपक्षकारान को सुना गया। जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 वाके ग्राम सांगानेर खाता संख्या 844 में आराजी खसरा नम्बर 113/2 रकबा 0.16, 124 रकबा 0.45, 126 रकबा 0.08, 127 रकबा 0.06 कुल किता 4 कुल रकबा 0.70 हैक्टेयर में खातेदार कृष्ण कुमार पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/6, तुलसीराम पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/6, भगवानसहाय पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/6, भूरामल पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/6, रिध्दीनारायण पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/6, हरिराम पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/6 जातियान ब्राहम्णान सा0 देह खातेदार दर्ज है। तथा जमाबन्दी संवत 2075–2078 वाके ग्राम सांगानेर के खाता संख्या 863 मे आराजी खसरा नम्बर 104/2 रकबा 0.30, 104/8 रकबा 0.15, 105/3 रकबा 0.36, 108/4 रकबा 0.31, 128/2 रकबा 0.10, 129/2 रकबा 0.05 कुल किता 6 कुल रकबा 1.27 में भूरामल पुत्र मदनलाल हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर प्रस्तुत समझौता पत्र/राजीनामा का अवलोकन किया गया। राजीनामे में उक्त आराजीयात में से खसरा नम्बर 108/4 रकबा 0.31 हैक्टेयर व 105/3 रकबा में से रकबा 0.10 हैक्टेयर प्रथम पक्षकार यानि प्रतिवादी संख्या 1 गिर्राज प्रसाद उर्फ भूरामल के नाम व शेष हिस्सा पर प्रथम पक्षकार की किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही रहेगी। इस प्रकार आराजीयात शेष हिस्सा द्वितीय पक्षकार/वादीगण के हक में हिस्सा बराबर–बराबर अनुसार कर दिया जावे। पत्रावली मूल दावा व राजस्व रिकार्ड एवम् राजीनामा का आधोपान्त अवलोकन करने के पश्चात् अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 वाके ग्राम सांगानेर के खाता संख्या 844 में आराजी खसरा नम्बर 113/2 रकबा 0.16, 124 रकबा 0.45, 126 रकबा 0.08, 127 रकबा 0.06 कुल किता 4 कुल रकबा 0.70 हैक्टेयर में कृष्ण कुमार पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/6, तुलसीराम पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/6, भगवानसहाय पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/6, भूरामल पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/6, रिध्दीनारायण पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/6, हरिराम पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/6 जातियान ब्राहम्णान सा0 देह खातेदार दर्ज है। प्रस्तुत राजीनामा में केवल तुलसीराम खातेदार की सहमतिकर्त्ता के हस्ताक्षर है शेष सह खातेदार कृष्ण कुमार, भगवान सहाय, हरिराम, रिध्दीनारायण राजीनामा पर सहमति नही है। जबकि सह खातेदारान् की सहमति आवश्यक है। तथा वादीगण ने उक्त वाद के माध्यम से पैतृक आराजी के आधार पर घोषणा चाही है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता है जिन्हे उक्त सम्पत्ति अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुई है। उभयपक्षकारान द्वारा राजीनामे के माध्यम से घोषणा करवाना चाहा गया है, परन्तु वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 की पैतृक आराजी में विरासत के माध्यम से अधिकार प्रदत्त किये जा सकते है, अन्यथा राजीनामा उभयपक्षकारान के मध्य हो गया है तो ऐसे अधिकार हस्तान्तरणीय है जो उभयपक्षकारान द्वारा हस्तान्तरित किया जा सकता है। इस वाद में राजीनामे के माध्यम से पैतृक सम्पत्ति में पिता के जीवनकाल में अधिकार प्रदत्त नही किये जा सकते है। ऐसी स्थिति में राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य नही है। अतः वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हुये राजीनामा विधि सम्मत् नही पाया जाता है, इसलिये वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। उप–खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ekta Karnani
Date: 2023.06.06 14:13:32 IST
Reason: SelfAttested